पटना में दिनांक–11 जुलाई, 2018 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

2.	अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना से संबंधित मार्गनिर्देशिका के कंडिका–4 एवं 7 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग

3.	राज्य में आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) योजना के परिचालन हेतु कुल व्यय ₹10.69 करोड़ रूपये (दस करोड़ उनहत्तर लाख रूपये मात्र) पर C-DAC, तिरूअनंतपुरम को Total Service Provide (TSP) के रूप में नामित करते हुए कार्यादेश प्रारूप पर पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण)– सह–नोडल पदाधिकारी, ERSS को हस्ताक्षर करने पर सहमति प्रदान करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

4.	बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु पुलिस संवर्गीय 88 विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

5.	राज्य योजनान्तर्गत 9 (नौ) प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन जिसकी कुल लागत राशि 169.20 करोड़ रूपये (एक अरब उन्हत्तर करोड़ बीस लाख) मात्र है, कि प्रशासनिक स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6.	जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विपत्र कोड–49–4700800510104 में ₹230.00 करोड़ एवं विपत्र कोड–49 –4711010510111 में ₹70.00 करोड़ यानी कुल ₹300.00 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–82 (गया–हिसुआ–राजगीर–बिहारशरीफ) के 4 लेनिंग परियोजना हेतु नवादा जिलान्तर्गत अंचल–नरहट के मौजा–गुरूचक, थाना सं० –75, खाता सं०–52, खेसरा सं०–95, कुल रकबा–0.03 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल–मुशहरी, मौजा–रसुलपुर, सैयदपुरवाजिद, थाना नं०–661, खाता सं०–08, 86, 92 खेसरा सं०–213 अंश, 266 अंश, 267 अंश, 268 पूर्ण, 269 अंश, 272 अंश, 230 अंश का कुल रकबा–15.00 एकड़ भूमि जो श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में है, टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल की स्थापना हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क अन्तरण करने के संबंध में।	8.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	मुंगेर जिलान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु सदर मुंगेर अंचल के मौजा–मय, शीतलपुर, गंगाचक एवं नन्दलालपुर में अवस्थित कृषि विभाग की कुल 7.5 एकड़ (भूमि विवरणी–परिशिष्ट–I) जमीन कृषि विभाग से विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	9.	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

10.	बिहार परिधापक (ड्रेसर) संवर्ग के पदों का दिनांक–01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन स्तर की स्वीकृति के संबंध में।	10.	**स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

11.	बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) के निरसन हेतु बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) विधेयक, 2018 (परिशिष्ट–"ख") की स्वीकृति के संबंध में।	11.	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

12. मध्याह्न भोजन योजना में संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एकमुश्त 4,00,000/–(चार लाख) रू० का अनुग्रह अनुदान राशि देने के प्रस्ताव की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

कृषि विभाग

13. श्री शैलेन्द्र नारायण सिन्हा, बिहार कृषि सेवा कोटि–01 (शष्य) सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, उद्यान पटना प्रमण्डल, पटना–सह–उप कृषि निदेशक, आलू, बिहार, पटना को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वित्त विभाग के परामर्श एवं प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक–01.11.1988 से दिनांक–10.03.1992 तक के लिए एक छायापद (सुपर न्यूमरेरी) के सृजन की स्वीकृति एवं दिनांक–11.03.1992 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 (पुनरीक्षित) को शिफ्ट बैक करते हुए दिनांक–01.11.1988 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि (वेतनमान 3000–4500) में सभी अनुमान्य लाभ के साथ नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

14. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 133 (एक सौ तैंतीस) कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिए पुनर्नियोजित करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

15. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से Cyber Crime Prevention Against Women and Children (CCPWC) योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में विमुक्त की गयी अनुदान की राशि ₹2,47,00,000 (दो करोड़ सैंतालीस लाख रू०) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज श्रावणी मेला को "राजकीय मेला" का दर्जा देने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. दिनाक–01.01.2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में। — 17. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

18. खगड़िया जिलान्तर्गत सोनमनखीघाट पथ के कि०मी० 7 में बागमती नदी के सोनमनखी घाट पर भू–अधिग्रहण, पहुँच पथ निर्माण कार्य, पुल बचाव कार्य एवं गाईड बाँध निर्माण सहित 2 लेन के 18x24.75 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल 6078.10 लाख (साठ करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार) रूपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

19. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–81 (सक्कड्डी–नासरीगंज पथ) के कुल 83.239 कि०मी० पथांश लंबाई में पुल–पुलिया निर्माण कार्य, रेलवे उपरी पुल, सुरक्षात्मक एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 535.34 करोड़ (पाँच सौ पैंतीस करोड़ चौंतीस लाख) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 19. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

20. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–90 (मुहम्मदपुर–छपरा पथ) के कुल 64.71 कि०मी० पथांश लंबाई में पुल–पुलिया निर्माण कार्य, सुरक्षात्मक कार्य एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 504.99 करोड़ (पाँच सौ चार करोड़ निन्यानवे लाख) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 20. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

21. राज्य उच्च पथ संख्या–78 (बिहटा–नौबतपुर–डुमरी–बेलदारीचक–कंसारी–दनियावाँ–चण्डी–रहुई–सरमेरा) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 1915.69 करोड़ (उन्नीस सौ पन्द्रह करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये के द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

22. श्री विजय कुमार सिंह (आई०डी०–3516), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–01, पडरौना सम्प्रति निलंबित को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जैसे संवेदनशील कार्य में कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरतने संबंधी आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। — 22. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

23. श्री बिजेन्द्र कुमार राम (आई०डी०–3871), तत्कालीन मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रक एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित को कमला–बलान पश्चिमी तटबंध के बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जैसे संवेदनशील कार्य में कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरतने संबंधी आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। — 23. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

24. श्री मिथिलेश कुमार सिंह (आई०डी०–3611), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–02, झंझारपुर सम्प्रति निलंबित को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जैसे संवेदनशील कार्य में मुख्य अभियंता के निदेश के बावजूद टूटान के कट इण्ड की सुरक्षा नहीं करने, आदेश की अवहेलना करने, एवं कार्य स्थल पर प्रचुर मात्रा में बाढ़ सामग्री, श्रम बल की व्यवस्था नहीं करने के आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। — 24. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

26. वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा समर्पित तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर पूर्व प्रशासनिक स्वीकृत राशि ₹152,37,54,462/–(एक सौ बावन करोड़ सैंतीस लाख चौवन हजार चार सौ बासठ रूपये) मात्र के स्थान पर, परामर्शी शुल्क सहित, कुल राशि ₹301,40,05,500/– (तीन सौ एक करोड़ चालीस लाख पांच हजार पांच सौ रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। — 26. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

27. महानन्दा नदी बाढ़ प्रबंधन पुनरीक्षित योजना (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 88244.71 लाख) (आठ सौ बैरासी करोड़ चौवालीस लाख इकहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा–महेशवथना, थाना नं०–23, खाता नं०–104, खेसरा नं०–15, 16 में रकबा क्रमशः–3.30 एकड़, 4.20 एकड़, कुल रकबा–7.50 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि किस्म पुरानी परती भूमि, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 28. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

29. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 842.50 करोड़ (आठ सौ बयालीस करोड़ पचास लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

30. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं०लि० के सभी ग्रिड उपकेन्द्रों के रियल टाइम डाटा संचार एवं दूरभाष को बिहार राज्य भार प्रेषण केन्द्र से विश्वनीय संचार माध्यम द्वारा यथा ओ०पी०जी०डब्लू० माध्यम से जोड़ने हेतु कुल 195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 39.014 करोड़ (उनचालीस करोड़ एक लाख चालीस हजार) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 156.056 करोड़ (एक सौ छप्पन करोड़ पाँच लाख साठ हजार) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

31. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं०लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 7 (सात) नये ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण एवं सारण जिला के एकमा अवस्थित 132/33 KV GSS का विस्तारीकरण एवं संबंधित 220 KV के 612.20 CKM (अनुमानित) एवं 132 KV के 728 CKM (अनुमानित) संचरण लाइन एवं monopole/narrow tower के माध्यम से विभिन्न 220 एवं 132 KV संचरण लाइनों के निर्माण हेतु कुल 2149.35 करोड़ (दो हजार एक सौ उन्चास करोड़ पैंतीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 429.87 करोड़ (चार सौ उन्नतीस करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 1719.48 करोड़ (सत्रह सौ उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख) रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 31. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

32. टंकक सहायक अवर निरीक्षक के पद को समाप्त कर उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद का सृजन। — 32. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

33. बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली–2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) में संशोधन करने के संबंध में। — 33. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

34. "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014)" में संशोधन से संबंधित "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018" की स्वीकृति। — 34. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

35. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–1 (ख)(i) एवं नियम–18 का प्रतिस्थापन की स्वीकृति के संबंध में।	35. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

36. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 तथा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन संशोधन।	36. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

37. माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू होने के उपरान्त बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के पदनामों में परिवर्त्तन की स्वीकृति।	37. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

38. सुपौल पथ प्रमंडल के अन्तर्गत बेलही से बघलाधार (SH) पथ भाया तीनटोलिया, पुरनडीह, चम्पानगर जरैलाहाट–डुमरिया कोठी पथ के कि०मी० 0 से 15 तक (कुल 15.00 कि०मी०) पथांश लंबाई में पुल–पुलिया कार्य सहित पथ का IRQP कार्य कुल 2359.85 लाख (तेईस करोड़ उनसठ लाख पचासी हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	38. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

39. "बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016" में संशोधन हेतु बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2018 विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति।	39. **स्वीकृत।**